(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु, मुकाम

हरखाराम बनाम ठाकराराम

किस्म मुकदमा धारा 80,188 रि.ट. नं. 42 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.3.18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88,188 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 28.3.18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
28/03/18	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या-1 की ओर से वकील श्री घमण्डाराम सारण द्वारा वकालातनामा मय ईकबालिया जवाब-दावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील द्वारा दस्तावेजों की सूचि नकल प्रथम खतौनी पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में PW-1 हरखाराम पुत्र श्री ठाकराराम कौम-जाट निवासी भगोंणियों की ढाणी तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर, PW-2-जोगाराम पुत्र श्री ठाकराराम कौम-जाट निवासी-भगोंणियों की ढाणी तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर व DW-1-ठाकराराम पुत्र श्री भीयाराम कौम-जाट निवासी-भगोंणियों की ढाणी तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर व DW-2	ठाकराराम हरखाराम जोगाराम Ramu (हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

रतनमल जाट पुत्र श्री भीखाराम कौम- जाट निवासी-
हुडा (कवास) के बयान- पत्र पेश किये गये जिसे शामिल
पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की
बहस सुनी गई वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार
है कि वादीगण व प्रतिवादी की संयुक्त रूप से पुश्तैनी
जमीन ग्राम मौजा- सियागों की ढाणी पटवार मण्डल-
माडपुरा बरवाला तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर के खेत
खसरा नम्बर- 699 रकबा- 28-15 बीघा व मौजा- मगो-
णियों की ढाणी पटवार मण्डल- माडपुरा बरवाला तहसील-
बायतु जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर- 764/606,
766/606 रकबा क्रमशः 36-02, 11-13 बीघा की आई
हुई है। उक्त जमीन वादीगण व प्रतिवादी की पुश्तैनी
होने से वादीगण व प्रतिवादी का बराबर का हक व
हिस्सा है। प्रतिवादी का उक्त भूमि में सम्पूर्ण हिस्सा
राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। कि उक्त भूमि वादीगण की
पैत्रिक भूमि है। इस कारण वादीगण भी प्रतिवादी के
साथ सह खातेदार दर्ज होने का अधिकारी है। उक्त
वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेन्ट मौजा सियागों
की ढाणी पटवार मण्डल- माडपुरा बरवाला तहसील-
बायतु जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर- 699
रकबा- 28-15 बीघा व मौजा- मगोणियों की ढाणी पटवार
मण्डल- माडपुरा बरवाला तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर
के खेत खसरा नम्बर- 764/606, 766/606 रकबा क्रमशः
36-02, 11-13 बीघा वादीगण के दादा भीखाराम के नाम
दर्ज हुई थी। वादीगण के दादा के देहान्त के बाद
उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व
रेकर्ड में दर्ज हो गयी थी। वादीगणो को प्रतिवादीगण
ने परिवार से अलग कर दिया है व उनके हिस्से में आने
वाली जमीन बांटकर मौके पर हिस्सेनुसार बंटवारा कर
अलग करके दी है जिसमें वादीगण की रहवासी ढाणी
व टांका भी बने हुए है परन्तु वादीगण का राजस्व
रेकर्ड में नाम दर्ज नहीं है इस कारण वादीगण को

सहायक कलक्टर (SDO)

Scanned by CamScanner

खे हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सह खातेदार घोषित किया जावे। हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी, पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड, प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब-दावा व वादीगणों व प्रतिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ-पत्रों का अवलोकन करने के बाद उक्त आराजी पैतृक व निर्विवाद साबित होती है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का बराबर-बराबर का हिस्सा है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी मौजा सियागों की ढाणी पटवार मण्डल- माडपुरा बरवाला तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर- 699 रकबा- 28-15 बीघा व मौजा- भगोणियों की ढाणी पटवार मण्डल- माडपुरा बरवाला तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर- 764/606, 766/606 रकबा क्रमशः 36.02, 11-13 बीघा भूमि में वादीगणों को प्रतिवादीगण संख्या-1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। अंतिम डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (SD)
बायतु

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. श्री हेताराम चौहान R.A.S. मुकाम बायतु

इजलास हरखाराम बनाम ठाकराराम वगैरा

दावा बाबत धारा वाद 88,188 RTAct

मुकदमा नं. 42/18 सन् 2018

यह मुकदमा आज इनाफिसाल कलई रूबरू न्यायालय

व हाजरी श्री खेताराम जाखड़ एड० मिनजानिब मुदई व —

श्री घमण्डाराम सारण एड० मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी मौजा- सियागो की ढाणी पटवार मण्डल- माडपुरा बरवाला तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर- 699 रकबा- 28-15 बीघा व मौजा- भगोणियो की ढाणी पटवार मण्डल- माडपुरा बरवाला तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर- 764/606, 766/606 रकबा क्रमशः 36-02, 11-13 बीघा भूमि में वादीगणों को प्रतिवादीगण संख्या- 1 के साथ सह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें, खर्चा वाद पक्षकारान अपना- अपना वहन करें।

कौम .... मुबलिंग .... बाबत् ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख बसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 03 2018 को जारी की गई।

दस्तखत [signature]

मुहर [stamp: सहायक कलक्टर (SDO) बायतु]

ओहदा सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

मुदई	रूपया	पै.	मुदई	रूपया	पै.
स्टाम्प अजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराल हुकमनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराज हुकमनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजाना		

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

वादीगण   बनाम   प्रतिवादी

वादीगण

1. डूंगराराम पुत्र ठाकुराराम
2. जोगाराम पुत्र ठाकुराराम

जाति- जाट निवासी- भगोणियों की ढाणी पटवार मण्डल- माडपुरा बरवाला तह०- बायतु जिला- बाड़मेर

प्रतिवादी

1. ठाकुराराम पुत्र श्री भीखा[illegible] जाति- जाट निवासी- भगो[illegible] की ढाणी पटवार मण्डल- माडपुरा तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु